मांग संख्या 80

मुख्य शीर्ष 2202

मद कमांक 1

राज्य में संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों से हाई स्कूल तथा हाई स्कूल से हायर सेकण्डरी में उन्नयन हेतु शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 435.00 लाख का व्यय संभावित हैं ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता हैं ।

मुख्य शीर्ष 2405

मद कमांक 2

राष्ट्र ीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 225.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2515

मद कमांक 3

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 7500 पंचायत कर्मियों/सचिवों को नियमित वेतनमान दिये जाने के निर्णय के फलस्वरूप इस वर्ष राशि रूपये 930.00 लाख का अतिरिक्त व्यय भार संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 9,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4515

मद कमांक 4

मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजनांतर्गत सामुदायिक भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, जिस पर राशि रूपये 1500.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा । इस हेतु रूपये 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अत: अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5

छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजनांतर्गत सामुदायिक भवन निर्माण एवं सी.सी.रोड निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, जिस पर राशि रूपये 1900.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा । इस हेतु रूपये 200 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अत: अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 6

ग्राम विकास योजनांतर्गत अटल बाजार (व्यावसायिक परिसर) तथा एक मिनी स्टेडियम निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, जिस पर राशि रूपये 655.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय ब्वत से किया जावेगा । इस हेतु रूपये 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अत: अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 7

हमाारा गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजनांतर्गत प्रदेश के महापुरूषों की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये चिन्हांकित ग्रामों में प्रवेश द्वारा एवं विवरण पट्टिका निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, जिस पर राशि रूपये 350.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा । इस हेतु रूपये 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अत: अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।